

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान गोपाल बनाम प्रभूदयाल


क्रमा संख्या/वर्ष टी0आई0 55/2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/01/25	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल जाट हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम दुर्जनियावास, पटवार हल्का दुर्जनियावास भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 167/214 रकबा 1.6187 है0, खसरा नम्बर 183/2 रकबा 0.2276 है0, खसरा नम्बर 183/3 रकबा 0.3667 है0, खसरा नम्बर 183/5 रकबा 0.2150 है0, खसरा नम्बर 184/1 रकबा 0.6576 है0, खसरा नम्बर 185/1 रकबा 0.5311 है0, खसरा नम्बर 195/3 रकबा 0.3667 है0, खसरा नम्बर 200/1 रकबा 0.7461 है0 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने पर उतारू है। उन्हे उनकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहन लाल जाट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी की बहस व पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।</p>	

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम दुर्जनियावास, पटवार हल्का दुर्जनियावास भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड़, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 167/214 रकबा 1.6187 है०, खसरा नम्बर 183/2 रकबा 0.2276 है०, खसरा नम्बर 183/3 रकबा 0.3667 है०, खसरा नम्बर 183/5 रकबा 0.2150 है०, खसरा नम्बर 184/1 रकबा 0.6576 है०, खसरा नम्बर 185/1 रकबा 0.5311 है०, खसरा नम्बर 195/3 रकबा 0.3667 है०, खसरा नम्बर 200/1 रकबा 0.7461 है० पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो।

  
जयपुर शहर प्रथम